न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/28/17	30–10–2017	12–03–2018

1–उमराव पुत्र श्री फूसाराम जाति यादव निवासी ग्राम उछपुर थाना व तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1–मूर्ति बेवा कैलाश जाति अहिर निवासी उछंपुर थाना व तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री ब्रह्म प्रकाश यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री राजेश गुप्ता –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. प्रकरण बअनुवानी सरकार बनाम मूर्ति पार्टी न0 01 उमराव, पार्टी नं0 02 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बानसूर में सरकार बनाम मूर्ति पार्टी न0 01 उमराव, पार्टी नं0 02 इस्तगासा अंन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य बटवारा हो चुका है। बटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूची लेकर मनमाने तौर पर मुकदमें का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे है। पीठासीन अधिकारी ने सरे अदालत कहा कि मुकदमें से तुम्हारा कोई लेना–देना नहीं है, तुमको कोई लाभ मिलने वाला नही है। मुकदमे का फैसला असल अप्रार्थी के हक में करूगा। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के हक में गलत निर्णय करने पर उतारू है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठकर बात करते देखा गया, अप्रार्थीगण द्वारा गांव में आकर ऐलानिया कहा गया की पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है, अगली तारीख पर बिना बहस मुकदमें का फैसला कर दूंगा। पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव में है। जिस कारण प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिऐ उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई बातचीत नही हुई है। समस्त तथ्य मनगढंत, बनावटी है। प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेप कल्पित रूप दर्ज किये है, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बानसूर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी

टिप्पणी में अंकित किया है कि मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मध्यनजर थानाधिकारी बानसूर के द्वारा 145 सी.आर.पी.सी. में प्रकरण पेश किया गया है। प्रार्थी 145 सी.आर.पी.सी. के तहत निर्णय को देरी करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगढंत एवं गलत है। प्रार्थी अपना वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कराना चाहाता है। यदि यह प्रकरण दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट बानसूर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–03–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)